GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS रेल मंत्रालय
(RAILWAY BOARD) रेलवे बोर्ड

No. E(NG)II/2002/RC-5/4 **New Delhi, dt. 19 .04.2006**

The General Manager(P)
All Indian Railways/PUs.

Sub : Appointment on the Railways to the members of families displaced as a result of acquisition of land for establishment of projects.

Attention is invited to the provisions contained in Ministry of Railways (Railway Board)'s letters No. E(NG)II/82/RC-1/95 dated 01.01.83, 09.06.83, 22.03.85,11.02.88 and No. E(NG)II/89/RC-2/38 dated 10.11.89 regarding appointment on the Railways to the members of families displaced as a result of acquisition of land for establishment of projects.

2. The whole issue has been deliberated upon at length in the full Board Meeting and it has been decided that no cognizance by way of offering employment to displaced persons should be given wherein only a strip of land (viz., for construction of a line) has been acquired but the same can be considered in Group 'D' posts only wherein large area, house or substantial livelihood has been taken away/snapped in the process.

3. It has further been decided by the Board that past cases where recruitments are already in process or where any commitment has been given to provide employment by the competent authority, such recruitment process should be finalized and employment provided in Group 'D' posts only to eligible persons.

4. In future, offering appointment in Railways should be exception rather than a rule whenever any land acquisition takes place.

Please acknowledge receipt.

(HINDI VERSION WILL FOLLOW)

Ashok Kumar

(Ashok Kumar)
Joint Director Estt. (N) II
Railway Board

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (एन जी)II/2002/आर सी-5/4 नई दिल्ली, दिनांक 19.4.2006

महाप्रबंधक (का.)
सभी भारतीय रेलवे/उत्पादन इकाइयां

विषय :- परियोजनाओं की संस्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण किए जाने के परिणामस्वरूप विस्थापित हुए परिवारों के सदस्यों की रेलवे में नियुक्ति.

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के दिनांक 01.01.83, 09.06.83, 22.03.85, 11.02.88 के पत्र सं. ई (एन जी)II/82/आर सी-1/95 तथा दिनांक 10.11.89 के ई (एन जी)II/89/आर सी-2/38 में अंतर्विष्ट प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो परियोजनाओं की संस्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण किए जाने के परिणामस्वरूप विस्थापित हुए परिवारों के सदस्यों की रेलवे में नियुक्ति किए जाने के संबंध में है.

इस पूरे मामले पर पूर्ण बोर्ड बैठक में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया और यह विनिश्चय किया गया है कि जहां पर केवल भूमि की एक पट्टी (अर्थात एक लाइन के निर्माण के लिए) का अधिग्रहण किया गया है वहां विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार की पेशकश के संबंध में कोई विचार नहीं किया जाएगा लेकिन जहां से इस प्रक्रिया में एक बड़ा क्षेत्र, घर अथवा महत्वपूर्ण जीविका के साधन ले लिए/छीन लिए गए हैं, वहां केवल ग्रुप 'घ' पदों के संबंध में विचार किया जा सकता है.

3. बोर्ड द्वारा आगे यह विनिश्चय किया गया है कि पिछले मामलों में जिनमें भर्तियां पहले ही की जा रही हैं अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई वचनबद्धता की गई है, ऐसी भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया जाना चाहिए एवं केवल पात्र व्यक्तियों को ग्रुप 'घ' पदों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए.

4. भविष्य में, जहां कहीं भी भूमि अधिग्रहण किया जाता है, रेलवे में नियुक्ति की पेशकश नियम के बजाए अपवाद के तौर पर की जानी चाहिए.

कृपया पावती दें.

अशोक कुमार

(अशोक कुमार)
संयुक्त निदे., स्था. (अराज)II